

खेती संदेश

Postage Registered No. PB/PTA/0339/2025-2027

WEEKLY KHETI SANDESH

E-mail : khetisandesh2025@gmail.com

Chief Editor : Parminder Kaur • RNI - PBBIL/25/A0210 • Issue Dt. 20-04-2026 • Vol.2 No.16 • H.O. : # 9-A, Ajit Nagar, Patiala-147001 (Pb.) • M. 90410-14575 • Page 12



फेन्टामाइन : फसल की लाइफलाइन



www.heranba.com

हर साल 30 मार्च को पूरी दुनिया 'इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट' मनाती है। 2026 में इसका फोकस भोजन की बर्बादी पर ध्यान आकर्षित करता है। यह सिर्फ एक थीम नहीं, बल्कि एक नैतिक संकट है, जो हमें सबसे दर्दनाक सच्चाई से रूबरू करवाता है। जो खाना बर्बाद होता है, उसे किसी किसान ने कड़ी मेहनत से तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए उगाया था। खेत से मंडियों तक उन मजदूरों ने पहुंचाया, जिन्हें खुद पेट भर खाने को नहीं मिल रहा।

यूनाइटेड नेशंस एन्वायरनमेंट प्रोग्राम (यू.एन.ई.पी.) की फूड वेस्ट इंडैक्स रिपोर्ट 2024 बताती है कि दुनिया में 105 करोड़ टन खाना बर्बाद हुआ। इसमें से 60 प्रतिशत बर्बादी घरों और खराब भंडारण व्यवस्था के कारण हुई, 28 प्रतिशत होटल-रैस्टोरेंट सैक्टर में और 12 प्रतिशत रिटेल में। यह सिर्फ लोगों की लापरवाही की समस्या नहीं, यह पूरी व्यवस्था की खामी है, सप्लाय चैन की कमजोरियों, नीतियों की कमी और एक ऐसी सोच, जिसमें खाना फेंक देना सामान्य बात बन गई है।

दूसरी तरफ दुनिया में करीब



20 करोड़ भूखे पेट, 8 करोड़ टन भोजन बर्बाद, नुकसान पर नकेल जरूरी

व्यवस्था की असफलता है।

भारत कहां खड़ा है

इस पूरे संकट में भारत की स्थिति गंभीर और असहज करने वाली है। यू.एन.ई.पी. की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत दुनिया में खाद्यान्न बर्बादी में दूसरे नंबर पर है। हर साल 7.8 से 8 करोड़ टन भोजन व फसल बर्बाद होती है,

भारत में हर व्यक्ति साल में औसतन 55 किलो खाना बर्बाद करता है, जो अमरीका (73 किलो) और जर्मनी (75 किलो) से कम है। लेकिन भारत की सबसे बड़ी



डॉ. अमृत सागर मित्तल, वाइस चेयरमैन सोनालीका

विडंबना यह है कि ग्लोबल हंगर इंडैक्स में भारत 125 देशों में 111वें स्थान पर है, करीब 19.4 करोड़ लोगों को पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। इसलिए भोजन की बर्बादी सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, यह करोड़ों लोगों के मुंह से छिना हुआ निवाला है।

पंजाब अन्नदाता लेकिन रिसता हुआ भंडार

पंजाब, जो करोड़ों लोगों का पेट भर सकता है, लेकिन खेत की उपज का एक बड़ा हिस्सा प्लेट तक पहुंचने से पहले ही खराब हो जाता है। पंजाब में फल और सब्जियों की लगभग

20 प्रतिशत फसल खाने तक पहुंचने से पहले ही खराब हो जाती है। वर्ष 2019 से 2024 के बीच अकेले एफ.सी.आई. के गोदामों में ही 8200 टन अनाज खराब हुआ, जो देश में सबसे ज्यादा है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, फसल कटने के बाद की कमजोर व्यवस्था, जैसे ढके हुए गोदामों की कमी, कोल्ड-चेन में निवेश की कमी, मशीनों की समय पर उपलब्धता न होना, ग्रेडिंग और वैज्ञानिक पैकेजिंग की कमी, ये सब बड़ी बाधाएं पंजाब में हैं।

कीमत धरती चुका रही

भोजन की बर्बादी सिर्फ इंसानी त्रासदी नहीं, यह पर्यावरणीय संकट भी है। दुनिया में कुल ग्रीनहाउस गैस में से 8 से 10 प्रतिशत भोजन की बर्बादी से पैदा हो रही है। जब खाना कचरे में सड़ता है, तो इससे निकलने वाली मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड से कई गुना ज्यादा खतरनाक है। हर दाना बर्बाद होने का मतलब है पानी, ज़मीन, ईंधन, खाद, बीज, कीटनाशक और किसान की मेहनत का नुकसान। एक किलो चावल उगाने में करीब 5000 लीटर पानी लगता है। जब वह चावल फेंका जाता है, तो वह पानी भी बर्बाद होता है, खासकर पंजाब जैसे राज्य में, जहां भूजल तेजी से गिर रहा है। समय की मांग है कि खाद्यान्न की बर्बादी को जलवायु नीति में

शामिल किया जाए।

आगे की राह

खाद्यान्न नुकसान को कम करना सिर्फ फसल या बचे हुए खाने को संभालना नहीं, यह सोच बदलने की जरूरत है कि हम खाने को कैसे देखते हैं, कैसे सहेजते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं। बर्बादी कम करने के लिए हमें पूरी व्यवस्था, प्रोत्साहन और सोच बदलनी होगी और इसमें किसान की गरिमा को ध्यान में रखना चाहिए। इसके लिए पांच व्यावहारिक कदम जरूरी हैं :

1. कोल्ड-चेन बनाओ, नुकसान की चेन तोड़ो : भारत अपनी कुल उपज का सिर्फ 8 प्रतिशत प्रोसेस करता है, जबकि अमरीका 65 प्रतिशत व चीन 23 प्रतिशत। कोल्ड-चेन व प्रोसेसिंग को फूड सिक्योरिटी का हिस्सा माना जाए।

2. बर्बादी रोकने के लिए बने कानून : यूरोप के कई देशों में सुपरमार्केटों के लिए खाना फेंकना गैर-कानूनी है, उन्हें फूड बैंक को दान करना होता है। भारत में भी ऐसा कानून होना चाहिए और दान करने वालों को टैक्स में छूट दी जा सकती है।

3. किसान को मजबूत बनाओ : भोजन का नुकसान खेत से ही शुरू होता है। किसान उत्पादक संगठनों को मशीनों, आधुनिक स्टोरेज और मोबाइल कोल्ड यूनिट्स दी जानी चाहिए। जूट बैग में अनाज रखने की पुरानी व्यवस्था को बदल कर आधुनिक तकनीक अपनानी चाहिए।

4. बर्बादी बताओ : भारत में अभी भोजन बर्बादी का कोई मानिट्रिंग सिस्टम नहीं है। बड़े होटल, शादी-ब्याह कैटरिंग और संस्थानों में बर्बादी का रिकॉर्ड रखना और इसे सार्वजनिक करना जरूरी किया जाए।

5. 'अन्न' का सम्मान करें : हमारी संस्कृति में अन्न को भगवान माना गया है - 'अन्न ही ब्रह्म है।' यह सिर्फ परम्परा नहीं, बल्कि सबसे टिकाऊ सोच है। स्कूलों, समाज और संस्थानों में इस भावना को जिम्मेदारी के रूप में जीवित करना होगा। समय की मांग है कि भोजन की बर्बादी रोकना राष्ट्रीय प्राथमिकता बने।



78.3 करोड़ लोग आज भी भूख झेल रहे हैं और 30 लाख से ज्यादा लोग संतुलित आहार से वंचित हैं। ऐसे में फसल कटने के बाद होने वाले नुकसान और खाने की बर्बादी को रोकना बेहद जरूरी है। एक तरफ करोड़ों टन अन्न बर्बाद हो रहा है, तो दूसरी ओर करोड़ों लोग भूखे पेट सो रहे हैं, कुपोषण अब भी दुनिया में फैला है। यह विडंबना नहीं, बल्कि हमारी

जिसकी कीमत करीब 1.55 लाख करोड़ रुपए बैठती है। चीन पहले नंबर पर है, जहां 10.80 करोड़ टन खाना बर्बाद होता है। अमेरिका में 2.4 करोड़ टन, जर्मनी में 65 लाख टन और जापान में जहां 'मोतेनाई' यानी चीजों को व्यर्थ न जाने देने की संस्कृति है, केवल 52 लाख टन खाना बर्बाद होता है।

मोगा के सरकारी फार्म में गिरनार-3 किस्म की खेती के सफल प्रयोग से उत्साहित

मूंगफली की खेती को पुनर्जीवित करने के प्रयास, जून में बुवाई

मोगा ज़िले में मूंगफली की खेती को पुनर्जीवित करने के प्रयास भी शुरू कर दिए गए हैं। मुख्य कृषि अधिकारी डॉ. गुरप्रीत सिंह ने बताया कि सरकारी बीज फार्म रौता में जे-87 किस्म की मूंगफली की बुवाई करवाई गई है, ताकि किसान जागरूक हो सकें। इस किस्म की विशेषता यह है कि यह तीन महीने की फसल है और इसका झाड़ 13-15 क्विंटल प्रति एकड़ तक रहता है। इसमें तेल की मात्रा भी 50 क्विंटल पाई गई है। कृषि विभाग ने जून में मूंगफली की बुवाई करने की चाहत वाले किसानों से तुरन्त अपने ब्लॉक कृषि अधिकारियों से सम्पर्क करने की अपील की, ताकि उन्हें



समय पर बीज की सप्लाय सुनिश्चित करवाई जा सके। विभाग इसके लिए प्रदर्शनी प्लांटों

के बीज का विशेष प्रबंध कर रहा है।

पिछले साल पंजाब में चुनिंदा जगहों पर मूंगफली की खेती का ट्रायल किया गया। मोगा के सरकारी फार्म में 3 एकड़ में गिरनार-3 किस्म की खेती की गई थी। इस प्रयोग की सफलता को देखते हुए पूरे ज़िले में इसकी खेती करने के प्रयास हैं।

हरदोई में गन्ने के साथ मूंगफली की अच्छी पैदावार

देश में मूंगफली खरीफ की मुख्य फसल है। रबी सीज़न में बहुत कम स्तर पर इसकी खेती की जाती है। गुजरात में सर्वाधिक उत्पादन होता है। वर्ष 2025-26 में खरीफ में 50.02 लाख हैक्टेयर और

रबी सीज़न में 3.49 लाख हैक्टेयर में इसकी खेती की जा रही है। गर्मियों में इसे कुछेक जगहों पर बीजा जाता है। वर्ष 2022-23, 23-24 और 24-25 की गर्मियों में लघु स्तर पर (क्रमशः 2.77 लाख हैक्टेयर, 3.22 लाख हैक्टेयर, 4.20 लाख हैक्टेयर) इसकी खेती की गई। गर्मियों में यह खेती मुख्य रूप से गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में की जा रही है। गुजरात में सौराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में, राजस्थान में बीकानेर और उत्तर प्रदेश के हरदोई में गन्ने के साथ सह-फसल के रूप में मूंगफली की अच्छी पैदावार ली जा रही है।

स्टबल बर्निंग किसानों को चावल के भूसे से छुटकारा पाने का सबसे आसान और तेज तरीका लगता है। सुनिश्चित रिटर्न के अभाव में, किसान कृषि अपशिष्ट के प्रबंधन के कारण किसान अवशेषों को जला रहे हैं।



फाने/डंठल जलाते हुए लापरवाही बरती गई है।

4. हरियाणा-पंजाब क्षेत्र के खेती करने वाले राज्यों में राज्य सरकारें यानी उन्हें किसानों को मुआवजा देने के लिए केन्द्र से पर्याप्त वित्तीय सहायता नहीं मिलती है।

5. सरकारों को बेहतर जागरूकता के लिए और इनके आदानों को सही ढंग से कीमत देने की भी ज़रूरत है ताकि किसान की लागत को कम किया जा सके। ये सब महत्वपूर्ण कारक हैं।

धान के अवशेष/गेहूं के टूट या अन्य फसलों को जलाने से रोकने के लिए वर्तमान व भविष्य के लिए महत्वपूर्ण सुझाव और सिफारिशें :

1. किसानों को धान के अवशेष/गेहूं के टूट को खुले में ना जलाने के लिए किसानों को प्रोत्साहन का प्रावधान होना चाहिए। किसानों के लिए सहायता (बीज, उर्वरक, कीटनाशक, बिजली, डीजल आदि)
2. कृषि का अधिकतम क्षेत्र संरक्षण कृषि प्रथाओं का चावल-गेहूं

शेष पृष्ठ 8 पर

फसलों के अवशेष जलाने (स्टबल बर्निंग) के नुकसान तथा सुझाव व सिफारिश

डॉ. रघुबीर सिंह कालीरामणा, खण्ड कृषि अधिकारी, बरवाला (हिसार)

अवशेषों को जलाना अगले अर्थात् फसल के बाद खेत से धान, गेहूं की फसल के अवशेषों को हटाने का एक तरीका है। जहां भी गेहूं व धान डंठल/अवशेषों की कटाई की एक व्यवहारिक विधि है। स्टर्न बर्निंग फसल काटने के लिए आवश्यक हो जाती है। कंबाइन ऐसी मशीनें हैं, जो फसलों के साथ-साथ थ्रेशर भी करती हैं। मतलब अनाज को अलग करना और साथ में उसको साफ करना और फसल अवशेषों की तूड़ी बना देती है। फिर यह बकाया में अवशेषों को छोड़ देता है, क्योंकि यह टूटे हुए को नहीं कटता। ये अवशेष किसान के लिए समस्या बन जाती है, क्योंकि ये अवशेष

की भी कमी है, अगली फसल इत्यादि के लिए उनके खेतों को तेजी से तैयार करने की ज़रूरत है। जब चावल/गेहूं की कटाई एक कंबाइन हार्वेस्टर द्वारा की जाती है, तो इससे खेत में भूसे का एक महत्वपूर्ण हल निकल जाता है। इसके अलावा, गेहूं और चावल दोनों लम्बी अवधि की फसलें हैं और चावल की कटाई व गेहूं के रोपण के बीच कम अवधि के लिए उपलब्ध है, जिससे फसल के अवशेषों को जलाने के लिए श्रम, लागत में वृद्धि और किसी भी उपयोगकर्ता के अनुकूल और लागत प्रभावी तकनीक की अनुपलब्धता है। स्टबल बर्निंग किसानों को चावल

बनाती है और किसानों के लिए अधिक उर्वरकों, पानी और बिजली का उपयोग करने के लिए प्रेरित

करती है।

3. हालांकि इस पर प्रतिबंध होने पर भी उत्तर भारत में



किसान के लिए इतने उपयोगी नहीं होते हैं और किसान पर अगली फसल को समय पर बुवाई का दबाव होता है। नतीजतन, वे डंठल को जला कर क्षेत्र को साफ करते हैं। सदियों से दुनिया भर में किसानों ने चावल/गेहूं उगाया आया है और चावल/गेहूं के भूसे के उपयोग के लिए विभिन्न स्थानीय उपयोगी अनुप्रयोगों का शहरीकरण किया है। मशीनीकृत कृषि के साथ-साथ वर्तमान आधुनिक समाज में, भारत में पंजाब और हरियाणा के सामान्य राज्यों में दुनिया भर के किसान इस विरोध में हैं कि चावल के भूसे उनके लिए एक बड़ी समस्या बन गए हैं, क्योंकि वे मशीनीकृत कृषि का पालन करते हैं। श्रम

के भूसे से छुटकारा पाने का सबसे आसान और तेज तरीका लगता है। सुनिश्चित रिटर्न के अभाव में, किसान कृषि अपशिष्ट के प्रबंधन के कारण किसान अवशेषों को जला रहे हैं। स्टबल बर्निंग निम्नानुसार है :

1. किसान के लिए यह आसान और लागत कम होने के कारण स्टबल को जलाने का विकल्प है और ये अवशेषों को हटाने के लिए कंबाइन हार्वेस्टर को किराए पर लेने के लिए एक अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना पसंद नहीं करते हैं।

2. किसान यह जानते हुए स्टबल बर्निंग मिट्टी को कम उपजाऊ



No. 1
RURAL WEEKLY

Now Think Before Advertising
KHETI DUNIYAN RETAINS LEADERSHIP
IN
READERSHIP



KHETI DUNIYAN
VOICE OF THE FARMERS

KD COMPLEX, GAUSHALA ROAD, NEAR SHER-E-PUNJAB MARKET, PATIALA-147001 (PB.) INDIA

Mob. 90410-14575

khetiduniyan1983@gmail.com

खेती संदेश

KHETI SANDESH

मुख्य कार्यालय :
9-ए, अजीत नगर,
पटियाला-147001
(पंजाब)
मो. 98151-04575

कार्पोरेट कार्यालय :
के.डी. कॉम्प्लेक्स, गरुशाला रोड,
नजदीक शोरे पंजाब मार्केट,
पटियाला-147001
(पंजाब)
मो. 90410-14575

वर्ष : 02 अंक : 16
तिथि : 20-04-2026

सम्पादक

परमिंदर कौर

सम्पादकीय बोर्ड

डॉ. डी.डी. नारंग
डॉ. जे.एस. डाल
डॉ. आर.एम. फुलझेले

Editor : PARMINDER KAUR
Printer, Publisher and Owner of Weekly
'KHETI SANDESH' Printed at Drishti Printers,
Dasmesh Market, Near Sher-e-Punjab Market,
Gaushala Road, Patiala-147001 (Pb.) and
published from Kheti Sandesh, House No. 9-A, Ajit Nagar,
Patiala-147001 (Pb.). E-mail : khetisandesh2025@gmail.com
Mob. 90410-14575, RNI No. PBBIL/25/A0210

टमाटर फसल के मुख्य कीट व उनका नियंत्रण

टमाटर हरियाणा राज्य में बोई जाने वाली सब्जी की मुख्य फसल



है। संकर किस्मों के आगमन से प्रति इकाई अधिक टमाटर उत्पादन होने लगा है। इस फसल पर कई कीटों का आक्रमण होने की वजह से किसान बाजार में उपलब्ध अनावश्यक रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, जिससे उनकी लागत बढ़ जाती है। अतः किसान भाईयों से निवेदन है कि सब्जियों में कीट प्रबंधन के लिए विशेषज्ञों की सलाह लेकर ही कीटनाशकों का प्रयोग करें। टमाटर में मुख्य रूप से निम्न कीटों का आक्रमण होता है।

1. टमाटर की फल

छेदक सुण्डी : इस कीट को टमाटर फल छेदक के अलावा चने का फली छेदक व अमेरिकन बॉलवर्म आदि नामों से भी जाना जाता है। यह एक बहुभक्षी कीट है, जिसका आक्रमण मुख्य रूप से कपास, चना, टमाटर, अरहर, मिर्च, मटर, सूरजमुखी आदि फसलों पर होता है। यह बहुत विनाशकारी प्रवृत्ति का कीट है तथा इस कीट ने जयादातर कीटनाशकों के प्रति प्रतिरोधकता विकसित कर ली है। टमाटर का उत्पादन बहुत हद तक इस कीट के आक्रमण पर निर्भर करता है। इस कीट की मादा पत्तों पर एक-एक करके अण्डे देती है। इस कीट की नुकसान पहुंचाने वाली अवस्था इसकी सुण्डी (लारवा) अवस्था है। यह हरे, पीले, भूरे रंग की होती है तथा शरीर के ऊपरी भाग पर तीन लम्बी कटवां सलेटी रंग की दोनों ओर सफेद धारियां होती हैं। सुंडियां शुरुआत में कोमल पत्तियों को खाती हैं। उसके बाद कलियों, फूलों व फलों में सुराख कर देती है। ये टमाटर के कच्चे व पक्के फलों में



छेद कर घुस जाती है एवं फलों के गुदे को खाती रहती है। इसके मल-मूत्र के कारण फल सड़ने लगते हैं। ऐसे क्षति ग्रसित टमाटर खाने योग्य नहीं रह जाते हैं और उनका बाजार भाव भी नहीं मिलता है। ये सुंडियां एक फल से दूसरे फल में जाकर खाती हैं और एक अकेली सुंडी 2-8 फलों को नुकसान

पहुंचाती है।

कीट नियंत्रण : चूंकि यह एक बहुत हानिकारक बहुभक्षी कीट है तथा ज्यादातर कीटनाशकों के प्रति प्रतिरोधकता विकसित किए हुए है। अतः इसके नियंत्रण के लिए निम्न बातों का ध्यान रखें :

1. फल बेधक से बचाव हेतु पौध रोपण के समय टमाटर की 15-20 लाइनों के बाद एक लाइन गेंदा की प्रपंच फसल के रूप में लगानी चाहिए, क्योंकि इस कीट की मादा गेंदा के पौधों पर अण्डे देना पसन्द करती है। जिन पर किसी कीटनाशक का छिड़काव करके इनको नियंत्रित कर सकते हैं।

2. टमाटर के खेत में फीरोमोन प्रपंच 5 हैक्टेयर की दर से लगा कर इस कीट की आक्रमकता का आंकलन कर सकते हैं। इस कीट के नर व्यस्कों को ट्रेप से एकत्र कर नष्ट कर देना चाहिए।

3. मार्च महीने में पत्तों पर जैसे ही फली छेदक के अण्डे दिखाई दें, तो 20,000 ट्राइकोग्रामा काइलोनिस परजीवी छोड़ें। चार दिन बाद

पुनः 20,000 परजीवी प्रति एकड़ फसल पर छोड़ें।

4. इसके बाद 10-10 दिन के अंतराल पर 1 लीटर निम्बीसीडीन, 400 ग्राम बैसिलस थुरियनजिनेसिस (बी. टी.) तथा 400 ग्राम कार्बेरिल 50 घु.पा. को 200 लीटर पानी में मिला कर प्रति एकड़ छिड़काव करें।

5. क्षति ग्रसित फलों

को इकट्ठा कर नष्ट कर देना चाहिए।

6. अंतिम अस्त्र के रूप में सुरक्षित व्याधिनाशक



रसायनों का ही उपयोग करें। कीटों की संख्या ई.टी.एल. (आर्थिक देहली स्तर) पर एक सुण्डी प्रति



पांच पौधे-फूल आने की अवस्था पर एक सुण्डी प्रति मीटर पौधे। फल आने की अवस्था पर निम्नलिखित कीटनाशकों का प्रयोग करें :

75 मिलीलीटर फैनवलरेंट 20 ई.सी. या 200 मिलीलीटर डेल्टामेथ्रिन 2.8 ई.सी. या 60 मिलीलीटर साईपरमेथ्रिन 25 ई.सी./150 मिलीलीटर साईपरमेथ्रिन 10 ई.सी.

2. सफेद मक्खी : यह कीट आकार में बहुत छोटा होता है। लेकिन सब्जियों जैसे टमाटर, मिर्च, भिण्डी आदि में बहुत हानि पहुंचाता है, क्योंकि यह इन फसलों में मरोड़िया विषाणु रोग भी फैलाता है, जिसके परिणामस्वरूप फसलें लाभकारी नहीं रह पाती। यह सफेद पंखों वाला छोटा कीट है, जिसका शरीर पीले रंग का होता है। इस कीट

के शिशु व प्रौढ़ पत्तियों की निचली सतह से रस चूसते हैं, जिससे पत्ते पीले पड़ जाते हैं। परिणामस्वरूप पौधे छोटे रह जाते हैं, पत्ते मुड़ जाते हैं तथा फल कम आता है।

कीट नियंत्रण : इस कीट का आक्रमण होने पर किसान अनावश्यक कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं। उसके बाद भी यह कीट मरता नहीं, क्योंकि इस कीट में एक विशेष तरह का गुण होता है। कीटनाशकों के प्रयोग के कुछ ही दिनों में इसकी संख्या वापिस बढ़ जाती है। अतः किसान अनावश्यक कीटनाशकों का प्रयोग ना करें।

इस कीट का प्रकोप होने पर 400 मिलीलीटर मैलाथियान 50 ई.सी. को

200-250 लीटर पानी में मिला कर प्रति एकड़ 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें।

3. हरा तेला : इस कीट के शिशु व प्रौढ़ हरे रंग के होते हैं, जो बहुत चंचल होते हैं। पत्तों को छेड़ने पर टेढ़े चलते हैं। सफेद मक्खी की तरह यह कीट भी टमाटर की पत्तियों की निचली सतह से रस चूसता है, जिससे पत्तों के किनारे पीले पड़ कर सूख जाते हैं तथा फसल बानी रह जाती है। अधिक आक्रमण पर फसल जली



हुई दिखाई देती है। इसका नियंत्रण भी सफेद मक्खी की तरह ही करें।

**बीज कानून
पाठशाला**

बीज कृषि का क्रान्तिक आदान है। उत्तम बीज किसान का आधार है और फसल की उपज वसुधरा का लावण्य है। एक भद्र व्यक्ति को आकर्षक वेशभूषा से सुशोभित किया जाए, तो उसकी विद्धता में चार चाँद लग जाते हैं। एक रूपसी महिला को सुन्दर एवं आकर्षक वस्त्रों द्वारा श्रृंगार करवाया जाए, तो वह विदुषी प्रतीत होती है। इसी प्रकार प्रमाणित अनुवांशिक एवं भौतिक शुद्धता तथा अंकुरण जैसे गुणों से परिपूर्ण बीज को आकर्षक और सुरक्षाप्रद प्लास्टिक पैकिंग में किसानों को उपलब्ध करवाया जाए, तो अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आजकल कृषक भी प्लास्टिक पैकेजिंग के प्रति आकर्षित है।

बीजों का प्लास्टिक पैकेजिंग में प्रमाणीकरण

आर.बी. सिंह, बीज कानून रत्न, एरिया मैनेजर (सेवानिवृत्त), नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड (भारत सरकार का संस्थान), सम्प्रति - 'कला निकेतन', ई-70, विधिका 11, जवाहर नगर, हिसार-125001 (मो. 94667-46625)
आशीष कुमार, राड-प्रान्तीय सम्वयक, इंडियन फार्म फोरेस्ट्री डेवलपमेंट लिमिटेड,
बीज संसाधन सयंत्र, काजला धाम रोड, दुर्जनपुर, जिला हिसार (मो. 82959-88417)

या अन्य फसलों के बीज तथा खरीफ में धान, ज्वार, मूंग, कपास आदि किसानों द्वारा पाऊच पैकेजिंग की अधिक मांग होने पर

पैकेजिंग कहलाती है। वाष्प रोधी (Vapour Proof) बीज का Shelf Life (बीज का जीवन काल) अधिक होता है। किसानों और

Dr. A.D. Dumbre, Dr. R.S. Sheikh, MP KVU - Rahwzi M.S. Seed Research, 2006.

7. केन्द्रीय बीज



प्रमाणीकरण के शेष Procedure को छोड़ कर पाऊच पैकेजिंग कर बेच देते हैं। यदि प्रमाणीकरण संस्थाएं पाऊच पैकेजिंग में चिपकाने वाले टैग लगा कर इन बीजों को प्रमाणित करें, तो राज्य में प्रमाणित बीजों का ग्राफ बढ़ेगा और राजकोष में वृद्धि होगी। पाऊच पैकेजिंग में पैक बीज को प्रमाणित करने का साहस सर्वप्रथम कर्नाटक राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था ने 2001 DCH-32 संकर कपास से की। यह उत्पादन कर्नाटक राज्य बीज निगम

कृषि विदों में यह गलत धारणा थी कि पाऊच पैकेजिंग में बीज का Shelf Life छोटा होता है। यह निम्न अनुसंधानकर्ताओं ने निर्मूल सिद्ध कर दी :

(i) Effect of thickness of polythene against Pest of Ricje in Poly Sac. Dr. J.C. Mehla & Dr. M.K. Garg, CCS HAU - Seed Tec News Dec., 1998.

(ii) Storage of Seed Longivity in Cotton - Dr. A.K. Meena, Dr. M.N. Mishra & Dr. R.C. Dani - CICR, Sirsa - Seed Tech News, 1998.

(iii) Seed viability influenced by fungicides treatment, Storage container, bag, sacking in godown - Dr. Dharam Singh, Dr. Anuja Gupta, IARI Karnal, Haryana, Seed Tech News, 1998.

(iv) Studies on Packing Material for storage of Soyabean seeds under ambient conditions Dr. Poonam Singh, Dr. Thakur Das, Dr. C.P. Vaish, Dr. R.K. Katiyar, Dr. P.K. Gupta, Deptt. of Seed Science & Technology, C.S. Azad University of Agri. & Technology, Kanpur.

(v) Effect of container on Seed Storability of Hybrid Sorghum. Dr. Bassar Gowda, Dr. S.J. Gowda, Dr. G.H. Ravi Kumar, R.R.S. Raichur College of Agri. & UAS, Bangalore Seed Tech. News 1998.

(vi) Effect of packing on Germination & Storability Seed under ambient conditions Dr. V.S. Ghirase, Dr. V.D. Shende,

प्रमाणीकरण बोर्ड : CSCB ने अपने पत्र दिनांक 1996 के द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था लखनऊ को सूचित किया हुआ है कि चिपकाने वाले टैग (Self Adhesive Tag) लगाए जा सकते हैं। टैग लेबल का आकार अनुपातिक रूप से घटाया जा सकता है।

8. हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा प्लास्टिक पैकेजिंग में प्रमाणीकरण : लेखक ने शक्तिवर्धक सीड्स प्रा. लि. में Manager Quality Control रहते हुए हरियाणा सरकार में तत्कालीन अतिरिक्त निदेशक कृषि को 20.07.2007 में पत्र लिख कर पाऊच पैकेजिंग में बीजों के प्रमाणीकरण करने का आग्रह किया था तथा सभी आवश्यक सूचनाओं की छायाप्रति उपलब्ध करवाई थी। पुनः निदेशक हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था को मैं जगदीश हाईब्रिड सीड्स प्रा.लि. की ओर से 06.12.2008 को पत्र लिखा गया और उसमें यह भी संकेत दिया कि पूर्व निदेशक डॉ. वी. एस. पाहिल ने इस बारे काफी काम किया और योजना लागू ही होने वाली थी कि वे बदल गए। पुनः 2023 में निवेदन किया कि पाऊच पैकिंग (Pouch Packing) अपना लें, परन्तु हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण ने अभी इस पर गौर नहीं किया और सम्भावना है कि निकट भविष्य में मेहर हो जाए :

जब भौर में दुनियां सोती है मेरे संग कलम अकेली होती है कागज की शुष्क धरा पर मस्ती से बीज कानून के बोती है।

- आर.बी. सिंह

1. बीज पैकेजिंग एक गुणात्मक परिधान :

बीज की पैकेजिंग :

विद्या वाचा विपुषा वस्त्रेण विनयेन च:

एतो पंच वकारेण प्रोपोन्नति गारवम्।

मानव शरीर पांच तत्वों से बना है, उसी प्रकार मनुष्यक का व्यक्तित्व भी पांच लक्षणों - विद्या (ज्ञान), विपुषा (गठिला बदन), वस्त्रेण (वेशभूषा), वाचा (मधुरवाणी), विनयेन (नम्रतापूर्ण आचरण) से बनता है। उसी प्रकार बीज की गुणवत्ता भी अनुवांशिक तथा भौतिक शुद्धता, उत्तम अंकुरण, ओज आर्द्रता पर निर्भर करती है और ऐसे चरित्रवान, रूपवान, गुणग्राह्य बीज की उत्तम पैकेजिंग हो तो उसमें चार चाँद लग जाते हैं।

2. पैकेजिंग का महत्त्व :

बीज की पैकेजिंग बीज को सुरक्षा, मौसम के उतार-चढ़ाव के प्रभाव से रक्षा, एक स्थान से दूसरे स्थान परिवहन में रक्षा, बीज के उपभोक्ता कृषक के आकर्षण के लिए एवं बीज की व्यापारिकता बढ़ा देता है।

3. पैकेजिंग मैटीरियल :

बीज का पैकेजिंग मैटीरियल के लिए भारत सरकार के कोई आदेश नहीं है। हालांकि Indian Seed Certification Working Manual 2021 के अध्याय 9 के शीर्षक Seed Container (Seed Bag) के बिन्दु 9.1.1 में उल्लेख है कि क्लॉथ बैग, HDPE-High Density Propeline Ethyte तथा जूट के थैले प्रयोग किए जा सकते हैं। हालांकि अन्य किसी प्रकार के मैटीरियल के बीज पात्र की भी मनाई नहीं है। बीज पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक पाऊच, एल्युमिनियम फायल, टिन एवं कार्ड बोर्ड के डब्बे नान वावन (Non-Woven), BOPP भी प्रयोग किए जाते हैं।

4. पैकिंग साईज :

पैकिंग साईज तय करते समय प्रति एकड़ बीज की मात्रा, बीज का मूल्य, यातायात पैकिंग में सुविधा, पैकिंग

मैटीरियल का मूल्य आदि पर आधारित होती है।

5. बीजों की पैकेजिंग एवं प्रमाणीकरण :

जैसा ऊपर उल्लेख किया है कि बीज पैकेजिंग मैटीरियल के लिए भारत सरकार के आदेश नहीं थे और Indian Seed Certification Working Manual में पहली बार सरकार ने उल्लेख किया है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानकों में दो प्रकार की आर्द्रता का उल्लेख है साधारण तथा वाष्परोधी पात्र। उदाहरण के लिए Mustard में साधारण यानि कपड़े जूट के थैलों के लिए 8 प्रतिशत तथा वाष्परोधी पात्र प्लास्टिक पाऊच के लिए 5 प्रतिशत अधिकतम नमी होनी चाहिए, परन्तु चतुर बीज उत्पादक कम्पनियों पैकेजिंग को आकर्षक बनाने के लिए प्लास्टिक पाऊच



में पैक करते हैं और पाऊच में छेद कर देते हैं। अतः यह पैकिंग न तो Vapour Proof रही और न ही साधारण रही। Seed Tech News Vol. 50 जुलाई-दिसम्बर 2020 के पृष्ठ 9 पर वैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया कि पोली पाऊच में बीज पैक करें, उसमें सुई से छेद करने पर Vapour Proof Container नहीं रहता।

6. पाऊच पैकेजिंग में प्रमाणीकरण :

रबी मौसम में सरसों

का था। एक बार फिर 2023 में मल्टीकट ज्वार CSH-24MF न्यूट्री गोल्ड का कर्नाटक राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था ने नेशनल सीड्स कारपोरेशन के उत्पाद का किया है। इस विधि को अपनाते से बहुत सी फसलों तथा सब्जी वाले बीज भी प्रमाणीकृत हो सकेंगे।

7. पाऊच पैकेजिंग उत्तम :

बीजों की जूट तथा कपड़े HDPE के थैलों में पैक किए जाते हैं, परन्तु पाऊच पैकेजिंग वाष्प रोधी

कृषि एवं कृषि संबंधित विषयों पर
आधुनिक जानकारी लेने हेतु पढ़ें

खेती संदेश

हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

किसान मेलों के अवसर पर
किसान भाईयों के उत्साह को देखते हुए

सदस्यता शुल्क पर


विशेष छूट

एक वर्ष

250/-
रुपए

दो वर्ष 450/- रुपए

तीन वर्ष 650/- रुपए



कृषि एवं कृषि सहायक
धंधों की आधुनिक
जानकारी से भरपूर

एक वर्ष में
52 अंक

KHETI DUNIYAN
TID - 62763351



चंदे भेजने हेतु QR कोड स्कैन करें।

पेमेंट करने के पश्चात् अपना डाक पता इस नंबर पर भेजें :



90410-14575

मौसम किचन गार्डन की फ्रेश सब्जियों का

गार्डनिंग करना बहुत लोगों का शौक होता है। लॉकडाउन में तो देखा गया कि लोगों के मन में गार्डनिंग के प्रति दिलचस्पी बहुत बढ़ी है। बहुत सारे लोगों ने अपने किचन गार्डन तैयार किए। जिनके घर ग्राउंड फ्लोर के नहीं हैं, उन्होंने बालकोनी गार्डन व टैरेस गार्डन में पौधे लगाए। जहां पहले लोग अपने गार्डन में फूलों के पौधों को जगह देते थे, अब लोगों की दिलचस्पी सब्जियों के पौधों की तरफ खासी बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहां हम आपको दस ऐसी सब्जियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जोकि आप अप्रैल व मई महीने में अपने किचन गार्डन में लगा सकते हैं।



रेणु खंतवाल

भिंडी के पौधे

जरा फासले पर

ससे पहले बात करते हैं भिंडी के पौधे की। अगर आप भिंडी का बीज जमीन पर लगा रहे हैं, तो दो पौधों की दूरी पांच से छह इंच की रखें। अगर गमले में लगा रहे हैं, तो एक गमले में एक ही पौधा लगाएं। भिंडी का पौधा लगाने



के लिए आठ से दस इंच का गमला ठीक रहता है। भिंडी बहुत जल्दी लगनी शुरू हो जाती है।

बैंगन के लिए

गमला रखें बड़ा

बैंगन का पौधा भी आप इस सीजन में लगा सकते हैं। बैंगन उगाने के लिए बड़े गमले का इस्तेमाल करें, ज्यादा बैंगन लगेंगे। अगर आप दस-बारह-चौदह इंच के गमले में बैंगन उगाते हैं, तो आपको केवल चार-पांच पौधों से ही इतने बैंगन मिल जाएंगे कि आप हर सप्ताह बैंगन की सब्जी बना कर परिवार को खिला सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि एक गमले में एक ही पौधा लगाएं।

मिर्च के दो पौधे ही काफी

अपने किचन गार्डन में मिर्च का पौधा जरूर लगाएं। अगर आप बड़े गमले में यानी बारह से चौदह इंच के गमले में मिर्च के पौधे आपके परिवार की मिर्च की जरूरत पूरा करने के लिए काफी हैं।

टैरेस गार्डन में शिमला मिर्च भी

शिमला मिर्च भी आप अपने

टैरेस गार्डन में लगा सकते हैं। शिमला मिर्च लगाने के लिए भी आपको बारह से चौदह इंच के गमले चाहिए। केवल चार से पांच शिमला मिर्च के पौधों से आप अपने परिवार की जरूरत को पूरा कर सकते हैं।

टमाटर हर घर की जरूरत

एक और पौधा जोकि हर घर की जरूरत होता है, वह है टमाटर का पौधा। टमाटर की जरूरत लगभग हर सब्जी में होती है और अगर वह टमाटर अपने बगीचे के एकदम ताजा और ऑर्गेनिक हों तो क्या कहने। हरे टमाटरों का इस्तेमाल जहां आप हरी चटनी बनाने में कर सकते हैं, वहीं टमाटरों के लाल होने पर सब्जी में। टमाटर बहुत आसानी से उगा जाता है। बस जब टमाटर का पौधा बड़ा होने लगे, तो उसे सहारे की जरूरत होती है। इसलिए पौधे को सहारा देने के लिए पौधे के आस-पास डंडी लगा दें। या फिर रस्सी की सहायता से पौधे को ऊपर की तरफ चढ़ा दें। टमाटर का पौधा लगाने के लिए भी कम से कम दस इंच का गमला जरूर लें।

धनिया बढ़ाएगा खुशबू

धनिया का पौधा भी किचन गार्डन में जरूर लगाएं। तब ताजा बगीचे से तोड़े गए धनिया की पत्ती को आप अपनी दाल, सब्जी या चटनी में डालते हैं, तो खुशबू और स्वाद अपने चरम पर होता है। धनिया उगाने के लिए किचन में यूज होने वाले साबुल गोल धनिया को यूज करें। धनिया उगाने के लिए कम ऊंचे तश्तरीनुमा गमलों का इस्तेमाल करें। पुराने टब का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि जब धनिया के अंकुर निकल रहे हों तो उन नन्हें पौधों को चिड़िया व गिलहरी से बचा कर रखें।

पुदीना - डंडियां रोपें

पुदीना का इस्तेमाल गर्मियों में हर घर में होता ही है। आप इसे आसानी से उगा सकते हैं।

किसी बड़े गमले की जरूरत नहीं होती। बस गमला चौड़ा हो। आप बाजार से जो पुदीना खरीद कर लाते हैं, उसकी डंडियों को ही मिट्टी में दबा दीजिए और पानी देते रहें। कुछ दिनों में कोपलें फूटनी शुरू हो जाएंगी।

करेला - बस थोड़ा सा स्पेस

अगर आपके टैरेस में थोड़ी जगह है, तो आप बेहतर सब्जियां भी उगा सकते हैं। करेले की बेल ज्यादा जगह नहीं घेरती और करेले भी जल्दी लगने शुरू हो जाते हैं। करेले की बेल को बारह-चौदह इंच के गमले में लगाएं।

तोरई की बेल

अगर आप तोरई की बेल लगाने की सोच रहे हैं, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। सबसे



पहली बात, यह है कि यह जल्दी फल देने लगती है और बेल में एक साथ कई तोरईयां लग जाती हैं। बस गमला चौदह से सोलह इंच का रखें। जितना बड़ा गमला होगा, बेल उतनी ही फैलेगी और फलेगी। ग्राउंड फ्लोर का घर है, तो चिंता ही नहीं।

पालक व चौलाई का सीजन

अगर हरा साग खाने के शौकीन हैं, तो अपने किचन गार्डन में पालक व चौलाई इस सीजन में लगा सकते हैं। पालक व चौलाई लगाने के लिए किसी पुराने टब का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा तश्तरीनुमा गमलों का प्रयोग किया जा सकता है। या फिर छह इंच ऊंचे और बारह इंच चौड़े ग्रे बैग भी यूज कर सकते हैं।

* यह स्कीम 30 अप्रैल, 2026 तक लागू है।

जिन किसान भाईयों के बगीचों में पौधे बहुत छोटे हैं, ऐसे पौधों की धूप से देखभाल करना बहुत जरूरी है, जिसमें लू से बचाने हेतु नेट या टाट के बोरे, सूक्ष्म सिंचाई विधियां, मल्लिंग, वायुरोधक पौधे, बोर्डोपेस्ट, मुख्य तने को ढकना, छायादार पौधे लगाना, कटाई-छंटाई, खाद्य एवं उर्वरक, दीमक से बचाव, निंदाई-गुड़ाई के साथ-साथ पौधों को तान देना आदि सम्मिलित है। इस प्रकार से यदि पौधों की देखभाल करते हैं, तो निश्चित रूप से बगीचों में पौधों के सूखने की समस्या नहीं आएगी, साथ ही पौधों में बहार आने पर अच्छे फूल एवं फल आने से उत्पादन में वृद्धि होगी।



गर्मियों में फल बगीचों की देखभाल

1. फल बगीचों में छोटे पौधों की देखभाल : गर्मियों में बड़े पौधों की अपेक्षा छोटे पौधों को देख-रेख की आवश्यकता ज्यादा होती है। इसलिए छोटे पौधों के चारों तरफ गर्मी में लू से बचने के लिए विशेष रूप से मई-जून के महीने में पौधों के चारों तरफ नेट जाली या फिर स्थानीय स्तर पर लकड़ी/बांस की चार लकड़ी लगा कर नेट या टाट बोरी बांध कर लू से बचाया जा सकता है।

2. सिंचाई : फल-बगीचों में गर्मी के मौसम में सिंचाई की अत्यंत आवश्यकता होती है। वैसे तो पौधे लगाने से पूर्व ही बूंद-बूंद सिंचाई तकनीक को लगा लेना चाहिए, ताकि पौधों की बढ़वार

बढ़ने के साथ-साथ इस विधि से उपज की गुणवत्ता रसायन एवं उर्वरकों का दक्ष उपयोग एवं खरपतवारों की कमी और जल की बचत सुनिश्चित की जा सकती है।

ड्रिप सिंचाई/बूंद-बूंद सिंचाई के प्रमुख लाभ :

- * पानी की बचत
- * खारे जल का उपयोग
- * उत्पादन एवं गुणवत्ता में वृद्धि
- * सभी प्रकार की मृदा में उपयोग
- * खाद्य की बचत
- * खरपतवार में कमी
- * कीट एवं रोगों का कम प्रभाव
- * श्रम की बचत

* पोषक तत्वों को मिट्टी में गहराई तक पहुंचाया जा सकता है।

3. मल्लिंग : पौधों के चारों तरफ की भूमि को प्राकृतिक अवशेष या प्लास्टिक फिल्म से व्यवस्थित रूप से ढकने को मल्लिंग कहते हैं, जिसका उपयोग फलदार पौधों में किया जा सकता है। विशेष कर गर्मियों में नमी को बनाए रखने के लिए एवं खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए किया जा सकता है तथा सूखे की स्थिति में अधिक समय तक नमी को संरक्षित करने की तकनीक है।

मल्लिंग के प्रकार :

(1) कार्बनिक मल्ल : जैसे भूसा, गेहूं, सोयाबीन, धान का पुआल, सूखा हुआ चारा, सूखी हुई पत्तियां एवं खजूर की पत्तियां आदि।

(2) प्लास्टिक मल्ल : वर्तमान में प्रयोग में लाए जाने वाले पलवारों में प्लास्टिक फिल्म बहुआयामी एवं उपयोगी पाई गई, जोकि विभिन्न रंगों एवं मोटाई में उपलब्ध है तथा इसे बड़े पैमाने पर उद्योगिकी फसलों हेतु उपयोग में लाया जाता है। सामान्यतः काले रंग की मल्ल का उपयोग किया जाता है। यह प्रकाश को परावर्तित नहीं करता है। शर्करा के विकास एवं फलों की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायक होती है।

(3) मल्लिंग से लाभ : बहुवर्षीय फसलों हेतु 100 माइक्रॉन / 400 गेज वाली प्लास्टिक मल्ल का उपयोग किया जाता है।

* अधिक समय तक नमी को बनाए रखना।

* मृदा की संरचना में वृद्धि करती है, जिससे जड़ों की वृद्धि बहुत अच्छी होती है।

* मिट्टी के तापक्रम को कम करती है।

* खरपतवार नियंत्रण में हो जाते हैं।

* शुष्क भूमि में खेती को प्रभावशाली बनाने के लिए।

* पानी की बचत के लिए।

* उपज बढ़ाने के लिए।

4. वायुरोधक पौधे लगाना : बगीचों में उत्तरी और पश्चिमी सीमा पर वायुरोधक पौधे लगा

कर गर्म हवा से पौधों को बचाया जा सकता है। इससे बाग के अंदर तापमान को नियंत्रित रखने में मदद मिलती है। जैसे जामुन, देसी आम, शहतूत, करौंदा, नीम आदि वायुरोधक पौधे बाग में फलदार पौधे लगाने से पहले ही लगा देने चाहिए।

5. बोर्डो पेस्ट का प्रयोग (चूना + नीला थोथा + पानी) :

बोर्डो पेस्ट का प्रयोग पौधे के मुख्य तने पर जमीन से 2-3 फुट ऊंचाई तक करते हैं। बोर्डो पेस्ट बनाने के लिए 5 भाग नीला थोथा, 5 भाग चूना, 50 भाग पानी लेते हैं। नीला थोथा तथा चूना को अलग-अलग मिट्टी के बर्तन में भिगाते हैं, इसके बाद नीला थोथा के घोल तथा चूने के घोल को तीसरे बर्तन में धीरे-धीरे मिलाते हैं। बोर्डो पेस्ट के प्रयोग से पौधों को गर्मी व सर्दी नहीं लगती है तथा कीड़े-मकौड़ों का प्रकोप कम होता है। बोर्डो पेस्ट का प्रयोग फरवरी-मार्च एवं अक्टूबर-नवम्बर में करना चाहिए।

6. पौधों के मुख्य तने को ढकना : फलदार पौधों विशेषकर नीबू वर्गीय फलदार वृक्षों को गर्मी व सर्दी से बचाने के लिए मक्का, बाजरा, ज्वार आदि की सूखी कड़वी से ढक दिया जाता है।

7. छायादार पौधे लगाना :

छोटे फलदार पौधों के आस-पास सतई, ढेंचा, मक्का आदि उगा कर उन्हें छाया प्रदान की जा सकती है। ग्रीष्म ऋतु आरम्भ होने से 1-2 माह पूर्व छायादार पौधे बो देना चाहिए।

8. कटाई-छंटाई : ग्राफ्टेड / बडेड पौधे लगाने के बाद ग्राफ्टेड 2 बडेड के नीचे से निकलने वाली सभी देशी फुटानों को समय-समय पर काटते हैं। पौधे लगाने के बाद पौधों की कटाई-छंटाई इस प्रकार करें, ताकि पौधा चारों दिशाओं में संतुलित बढ़वार करे। सूखी व बीमारी ग्रसित शाखाओं को काटते हैं।

9. दीमक से बचाव : दीमक से पौधों को बचाने के लिए क्लोरोपायरीफॉस 30 मिलीलीटर प्रति पौधे के हिसाब से महीने में

एक बार अवश्य प्रयोग करें। इसके समय-समय पर निरीक्षण करते रहें।

10. खाद व उर्वरक : पेड़ों की जड़ें गहरी होती हैं तथा लम्बे समय तक फलन होती हैं, इसलिए बगीचे में खाद व उर्वरकों का प्रयोग करना अति आवश्यक है। देशी खाद प्रत्येक पौधे को 20 किलोग्राम वर्ष में एक बार अवश्य देना चाहिए। प्रति पौधे के हिसाब से लगभग 400 ग्राम नत्रजन, 400-500 ग्राम फास्फोरस एवं 300 ग्राम पोटाश अवश्य देनी चाहिए। खाद एवं उर्वरक का प्रयोग पौधों की छाया परिधि में देते हैं तथा इसके बाद सिंचाई अवश्य करनी चाहिए। पोटाश के प्रयोग से फल में मिठास बढ़ती है और पौधों की रोग/कीटों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी यदि पौधों पर नजर आती है, तो बोरेक्स/जिंक सल्फेट भूमि में डालते हैं।

11. निराई-गुड़ाई : फलदार पौधों की वर्ष में 3-4 बार गुड़ाई करना आवश्यक है। इससे मिट्टी भुरभुरी व पौधों की जड़ों में वायु संचार होने से विकास अच्छा होता है। पौधों में गुड़ाई पेड़ की छाया के चारों तरफ 30 सेंटीमीटर की गहराई में करते हैं। गुड़ाई के पश्चात् सिंचाई करते हैं।

12. पेड़ों को तान (स्ट्रेस) देना - बहार उपचार : नीबू वर्गीय पौधों को 40-50 दिन (25 प्रतिशत पेड़ों की पत्तियां गिरने तक) अस्थायी रूप से सिंचाई के पानी को रोकना पड़ता है, जिसे तान (स्ट्रेस) कहते हैं। तान से पेड़ों की वृद्धि पर रोक लगती है और फिर 40-50 दिन बाद जब सिंचाई की जाती है, तब पेड़ों में एक साथ नई पत्तियां फूटती हैं, जिस पर फूल एवं फल लगते हैं। मृग बहार के लिए अप्रैल-मई के महीने में और लम्बे बहार के लिए दिसम्बर-जनवरी में सिंचाई रोक दी जाती है। इस प्रकार से गर्मियों में आंवला, बेर, संतरा एवं नीबू आदि फलों में बहार उचार सिंचाई रोक कर वर्षा के पहले थाले बना कर, खाद एवं उर्वरकों का उपयोग करके अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं।



सुचारू रूप से हो सके। सिंचाई करते समय इस बात का अधिक ध्यान रखें कि पानी अधिक मात्रा में ना दिया जाए और पानी पौधे से सीधे सम्पर्क में ना आने पाए। जल भराव से बचें। नहीं तो पौधों में जड़ गलन की बीमारी लग सकती है। इसीलिए सिंचाई से पहले प्रत्येक पेड़ के चारों तरफ 30 सेंटीमीटर गोलाई में 15 सेंटीमीटर ऊंचाई तक मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए एवं उसका शाला बना कर सिंचाई करें।

(1) ड्रिप सिंचाई : ड्रिप सिंचाई प्रणाली सिंचाई की उन्नत विधि है, जिसके प्रयोग से सिंचाई जल की पर्याप्त बचत की जा सकती है। यह विधि मृदा के प्रकार, खेत के ढाल, जल के स्रोत एवं किसान की दक्षता के अनुसार, फसलों के लिए अपनाई जा सकती है। ड्रिप सिंचाई के जल उपयोग की दक्षता 90-95 प्रतिशत होती है। फसलों की पैदावार

(2) स्प्रिंकलर/फव्वारा सिंचाई : गर्मियों में छोटे फलदार पौधों में स्प्रिंकलर विधि से भी सिंचाई कर गर्मी में तापमान को कम किया जा सकता है, जोकि छोटे पौधों को बचाने में अति प्रभावी है।

(3) फर्टिगेशन प्रणाली : फर्टिगेशन यह प्रणाली है, जिसमें जल के साथ-साथ उर्वरकों को भी पौधों तक पहुंचाया जाता है। उर्वरक सीधे उस क्षेत्र तक पहुंचाया जाता है, जहां पौधों की अधिकांश जड़ें विकसित होती हैं। फर्टिगेशन उर्वरक देने की सर्वोत्तम तथा अत्याधुनिक विधि है, जोकि फलदार पौधों में आवश्यक रूप से अपनाई जाती है एवं इसके मुख्य लाभ हैं :

- * उर्वरक की बचत
- * पोषक तत्वों की सघनता में समय के साथ होने वाले उतार-चढ़ाव को बंद किया जा सकता है।

सूअरों में संक्रामक रोग : लक्षण, बचाव व रोकथाम

सूकर ज्वर रोग (स्वाइन फीवर) : सूअरों की एक अत्यंत घातक एवं संक्रामक बीमारी है। इस रोग को अंग्रेजी में 'हाग कालरा' भी कहते हैं। यह रोग पालतू तथा जंगली सूअरों में विश्वभर में पाया जाता है। बड़े सूअरों की अपेक्षा जवान सूअर इस रोग से अधिक प्रभावित होते हैं। इस रोग का कारण एक विषाणु (वायरस) होता है, जोकि सामान्यतः संक्रमित कणों तथा संक्रमित सूअर के मांस या अन्य उत्पादों के सेवन से फैलता है।

लक्षण : सूकर ज्वर के लक्षण विषाणु की क्षमता संक्रमित सूअर की उम्र तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता पर निर्भर करते हैं। रोग लगने से लक्षण दिखाई देने तक लगभग तीन से सात दिन का समय लग जाता है।

* आरम्भ में तेज़ बुखार होता है।

* सूअर खाना-पीना बंद कर देता है।

* आंखों से चिपचिपा पदार्थ निकलना।

* कान, गर्दन व पेट के निचले हिस्सों की खाल पर गहरे लाल रंग के धब्बे दिखाई देते हैं।

* रोगी पशु को खांसी व सांस लेने में कठिनाई होती है।

* इस रोग में मृत्यु दर बहुत ज्यादा है।

रोकथाम/उपचार : रोग का बचाव केवल रोग अवरोधक टीके लगा कर ही किया जा सकता है।



तीन महीने से अधिक उम्र के सूअरों को प्रति वर्ष टीकाकरण करवाना चाहिए।

* बीमार सूकरों को तुरंत स्वस्थ सूकरों से अलग कर देना चाहिए।

* रोगी सूकरों के जूठे राशन पानी, मल-मूत्र आदि को तुरंत नष्ट कर देना चाहिए।

* रोगी पशुओं के बाड़ों को चूने से धुलवा कर कुछ दिन तक खाली रखना चाहिए।

* नए खरीदे हुए सूअरों को कम से कम 21 दिन तक बाड़े के

पुराने सूअरों से अलग रखना चाहिए।

मुंह-खुर रोग : यह भी सूअरों में विषाणुओं से फैलने वाला एक अत्यंत घातक एवं संक्रामक रोग है।

लक्षण :

* तेज़ बुखार।

* मुंह व पैरों में छाले।

* सूअर खाना बन्द कर देता है।

* चलने में कठिनाई।

* बड़े पशुओं में इस रोग से प्रायः मृत्यु नहीं होती, लेकिन दूध पीते बच्चों में इस रोग से मृत्यु दर अधिक है।

उपचार : विषाणु जनित होने के कारण इस रोग का कोई विशेष इलाज नहीं है, लेकिन फिर भी पशु को जल्दी ठीक करने में लक्षणों के अनुसार निम्नलिखित उपचार सहायक है :

* रोगी सूअरों को स्वस्थ सूअरों से अलग रखें।

* मुंह के घावों के लिए बोरिक एसिड (15 ग्राम) प्रति लीटर पानी में मिला कर लगाएं।

* पोटेशियम परमैंगनेट (1 ग्राम प्रति तीन लीटर पानी में मिला कर) अच्छे से मुंह को धोएं।

* फिटकरी (5 ग्राम प्रति लीटर पानी में) के घोल से दिन में तीन या चार बार मुंह को धोना चाहिए।

स्वाइन-प्लेग (हैमोरेजिक सैप्टीसीमिया) : इस रोग का कारण एक प्रकार के जीवाणु है, जोकि स्वस्थ सूकरों की श्वास नली में

प्रायः मिलते हैं और अनुकूल वातावरण पर पशु को कमजोरी की हालत में रोग ग्रसित कर देते हैं।

लक्षण :

* तेज़ बुखार।

* भूख ना लगना।

* कठिनाई से श्वास लेना।

* गले में सोजिश।

* लड़खड़ाती चाल तथा पतले बदबूदार दस्त।

उपचार :

* रोगी पशु को अलग कर देना चाहिए तथा योग्य चिकित्सक

की सहायता लेनी चाहिए।

* रोग से बचाव के लिए वर्षा ऋतु से एक दो मास पहले रोग निरोधक टीका लगवाना चाहिए।

* एंटीबायोटिक व सल्फा दवाइयों से इसका उपचार सम्भव है।

सूकर चंचक (स्वाइन-पोक्स) : यह भी एक विषाणु से होने वाला रोग है।

लक्षण :

* इसके आरम्भ में तेज़ बुखार होता है।

* भूख नहीं लगना।

* कुछ दिनों में ही कानों, गर्दन व जांघों के बीच और कुछ रोगियों में सारे शरीर पर छाले हो जाते हैं।

* छोटे बच्चों में यह रोग अत्यंत घातक होता है।

बचाव :

* रोगी पशुओं को अलग, साफ-सुथरे व आरामदायक स्थान पर रखना चाहिए।

* हल्का सुपाच्य भोजन देना चाहिए।

* घावों का उपचार उपरोक्त ढंग से करना चाहिए।

* प्रभावित पशुओं को नष्ट कर देना अधिक उपयोगी होगा।

ब्रसिलोसिस : यह जीवाणुओं से होने वाला छूत का रोग है। इसमें मादा जानवर का गर्भपात हो जाता है या नर सूकर की प्रजनन क्षमता समाप्त हो जाती है। इस रोग के विशेष लक्षण दृष्टिगोचर नहीं होते, अतः इसकी पहचान नहीं हो पाती। स्वस्थ दिखाई देने वाले सूअर/सूकरी भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। रोगी के खून की जांच करने पर ही इस रोग की पहचान होती है, जिसकी पुष्टि हेतु खून की जांच एक से दो मास के अंतर पर पुनः करनी चाहिए।

बचाव :

* रोग ग्रसित पशुओं को प्रजनन हेतु प्रयोग नहीं करना चाहिए।

तपेदिक (टी.बी.) :

लक्षण : * इस रोग में पशु को बुखार रहता है, जो साधारण दवाइयों से नहीं उतरता।

* शरीर के किसी मुख्य अंग जैसे जिगर, फेफड़े, ग्रन्थियां, तिल्ली अथवा सारे शरीर में दानेदार जखम बनते हैं, जिन पर बाद में कैल्शियम जमा होने से पथरीला



आकार ले लेते हैं।

* पशु का स्वास्थ्य दिन प्रति दिन गिरता जाता है।

उपचार :

* फार्म के सभी सूकर, सूकरियों तथा शावकों का परीक्षण अवश्य करवाना चाहिए।

* रोगी पशुओं को नष्ट करके दबा देना चाहिए।

* शैड को कीटाणु-नाशक दवाइयों से कीटाणु रहित करना चाहिए।

एन्थ्रैक्स : जीवाणुओं से होने वाला अत्यंत भयानक छूत का रोग है।

लक्षण :

* बहुत तेज़ बुखार।

* गले में सोजिश।

* खून का पतला हो जाना।

* शरीर के अंगों से खून का रिसना।

* दस्त/पेचिश

* खून वाला पेशाब।

* सांस में कठिनाई।

* शीघ्र मृत्यु।

बचाव :

* इस रोग से मरने वाले पशु के शव का परीक्षण नहीं करना चाहिए।

* इसके शरीर से निकले किसी पदार्थ को रास्ते में गिरने नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह रोग मनुष्यों को भी हो सकता है।

* मृत पशु को गहरे गड्ढे में चूना डाल कर दबा देना चाहिए।

इन्फ्लुएन्जा : यह रोग साधारणतः 3 से 4 मास के बच्चों को अधिक प्रभावित करता है। इस रोग का कारण भी विषाणु है।

लक्षण :

* रोगी को बुखार।

* सांस लेने में कठिनाई तथा खांसी होती है।

* नाक व आंखों से तरल पदार्थ बहता है।

* हालत बिगड़ जाने पर निमोनिया बन जाता है।

बचाव : * अन्य बीमारियों की भांति इसमें भी बचाव के उपाय बरतने चाहिए। रोगी पशु का बाड़ा साफ-सुथरा और कुछ गर्म होना चाहिए।

पशु-पालकों को सुझाव दिया जाता है कि ऐसी भयानक बीमारियों के लक्षण देखते ही अपने निकटतम पशु-चिकित्सक से सम्पर्क करें और इलाज में ढील नहीं करनी चाहिए।

आपकी ढील सारे गांव के अन्य पशुओं के जीवन को भी खतरा पैदा कर सकती है।

शेष पृष्ठ 3 की फसलों के अवशेष (स्टबल बर्निंग) के नुकसान तथा सुझाव व सिफारिश

फसल प्रणाली के कार्यान्वयन है। सरकार द्वारा यानि मूंग-बीन की फसल को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

3. वायु, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार के लिए अक्षय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए फसल अवशेषों को प्रभावित करना, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को सही ठहराना या ऊर्जा संयंत्रों का स्थायी, पर्यावरण के अनुकूल और लागत प्रभावी तरीके से ऊर्जा उत्पादन के लिए अतिरिक्त फसल अवशेषों का उपयोग करने के लिए प्रेरित करना।

4. फसल अवशेषों को पुनर्चक्रण / संशोधन यानी चूना या जिप्सम के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। कृषि क्षेत्र में उनका उपयोग सब्सिडी यानी अन्य खनिज उर्वरकों या संशोधनों को करना चाहिए।

5. किसानों को पुरस्कृत करना, जो फसल अवशेषों के रूप में खेत में अपने अवशेषों का प्रबंधन बनाए रखते हैं। उनके लिए रासायनिक उर्वरकों और बिजली सब्सिडी प्रदान की जानी चाहिए और नीति के कारण उच्च शक्ति वाले नलकूप स्थापित किए जाने चाहिए।

6. जीव विज्ञान क्षेत्र में इन-सीटू प्रबंधन या रासायनिक या जैविक साधनों द्वारा या यांत्रिक आवश्यकता से पुआल और छिड़काव के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और मशीनरी जैसे डबल डिस्क, कल्टीवेटर, शून्य जुताई आदि हैं।

7. धान के अवशेषों/गेहूं के टूट को खेती में इकट्ठा किया जा सकता है या उपयोगी उत्पादों को तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए खाद, जैविक खाद बनाना और बिजली उत्पादन के लिए एक वैकल्पिक ईंधन के रूप में गैसीकरण।

8. धान की फसल की कटाई के समय, इसके तने को जड़ स्तर से ही काटा जा सकता है। इस अभ्यास के लिए एक उपयुक्त रीपर सह-हार्वेस्टर की ज़रूरत है या स्वदेशी तकनीकों का उपयोग करके विकसित किया जाना चाहिए।

9. गहरी कटाई के लिए ट्रैक्टर के उच्च अश्व-शक्ति खंड का उपयोग सहकारी आधार पर छोटे किसानों की सहायता के लिए किया जा सकता है और छोटे किसानों को धान के अवशेषों से बाहर निकलने वाले उपकरण की प्रमुखता जानने के लिए सुझाव देना।



निर्मल संधु

पंजाब व हरियाणा में मुश्किल दौर की आहट

खाड़ी युद्ध के प्रभावों से देश का 'अन्न भंडार' कहे जाने वाले पंजाब और हरियाणा के लोगों के सामने अब अपने अस्तित्व के लिए चुनौती पैदा हो सकती है। खाद संकट से खेती की चुनौतियां बढ़ सकती हैं। वहीं निर्यात की चुनौती बढ़ने के साथ श्रमिक वर्ग भी प्रभावित होगा।

किसान तरनतारन का हो या रोहतक का या फिर बिहार अथवा यूपी का कोई प्रवासी मजदूर, उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान में किया गया सैन्य 'दखल' एक दिन उसकी जिंदगी पर इतना गहरा असर डालेगा कि उसके जीवन-यापन की लागत पर बन आएगी। भले ही अब इस्राइल और अमेरिका ईरान पर बमबारी बंद कर भी दें, लेकिन अगर राज्यों के चुनावों के बाद तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो स्थिति और भी बदतर हो सकती है।

ट्रंप के इस कदम ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है और इसका असर भारतभर में महसूस किया जा रहा है। भले ही सरकार आर्थिक नुकसान के असर को ढांपने की कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले। होर्मुज जलडमरू के बंद होने से दुनियाभर के तेल और गैस बाजारों में उथल-पुथल मच गई है, जिसके चलते महंगाई तेजी से बढ़ी है और भोजन एवं उर्वरकों की किल्लत पैदा हो गई है। यह संकट केवल गैस सिलेंडरों के लिए मची अफरा-तफरी या किसी शहर अथवा इलाके के पेट्रोल पंपों पर वाहनों की लगी लंबी लाइनों तक ही सीमित नहीं है। भले ही सरकार पर्याप्त आपूर्ति सुचारु रखने का कितना भी भरोसा क्यों न दिला रही हो। इससे भी बड़ा खतरा है पूरे देश में आर्थिक मंदी छाने का, रोजगार के अवसर छिन जाने का, और लोगों की आमदनी कम हो जाने का।

पंजाब, हरियाणा और केंद्र सरकार में सत्तासीन राजनेता, जमाखोरी और मुनाफाखोरी पर लगाम कसने, आपूर्ति शृंखलाओं को सुचारु बनाए रखने, विशेष रूप से कृषि व उद्योगों को वैश्विक ईंधन कीमतों के इस भीषण प्रहार से बचाने की योजनाएं बनाने की बजाय, अपना ज्यादातर समय और ऊर्जा केवल अखबारों की सुर्खियां बटोरने में ही खर्च कर रहे हैं। भारत द्वारा

अपने पारंपरिक शुभचिंतकों - ईरान और रूस को बिना सोच-विचार किए तज देने, और हमलावर मुल्कों - अमेरिका व इस्राइल का साथ देने से स्थिति में और ज्यादा बिगाड़ आया है। देश को न केवल तेल और गैस के आयात के लिए, बल्कि उर्वरकों, विशेष रूप से नाइट्रोजन-आधारित यूरिया खरीदने के लिए भी अब कहीं ज्यादा दाम चुकाने पड़ रहे हैं। इस बात की पूरी संभावना है कि यूरिया उत्पादन में 30 प्रतिशत तक की गिरावट आ सकती है। चीन के बाद, भारत दुनियाभर में उर्वरकों का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश है। आपूर्ति में किसी भी मात्रा की कटौती का सीधा मतलब है कृषि उत्पादन में कमी आना और किसानों की आमदनी में गिरावट।

देश का 'अन्न भंडार' कहे जाने वाले पंजाब और हरियाणा के कई लोगों के सामने अब अपने अस्तित्व को बचाए रखने का संकट खड़ा हो सकता है। कर्ज चुकाना और भी मुश्किल हो सकता है, जिससे लोगों का मानसिक तनाव और भी बढ़ जाएगा। रसोई गैस सिलेंडरों की अनुपलब्धता के कारण प्रवासी मजदूरों का जो पलायन शुरू हुआ है, अगर उसे समय रहते प्रभावी ढंग से नहीं थामा गया, तो यह समस्या और भी गंभीर रूप ले सकती है - जिसका सीधा असर इन दोनों ही राज्यों में गेहूं की कटाई और धान की रोपाई पर पड़ सकता है। खाद की कमी से अन्न उत्पादन घट जाएगा, जिससे खाने-पीने की चीजों की कीमतें तेजी से बढ़ेंगी। इससे खासकर उन परिवारों के लिए मुश्किलें खड़ी होंगी, जिन्हें सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। सरकार का अनाज और खाद पर दी जाने वाली सब्सिडी का खर्च बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। साथ ही, आर्थिक विकास की धीमी गति के कारण होने वाले राजस्व के नुकसान के परिणामवश कल्याणकारी योजनाओं और बुनियादी ढांचे पर होने वाले खर्च में कटौती करनी पड़ेगी। मध्यम वर्ग की आय या तो स्थिर हो जाएगी या फिर उसमें गिरावट आएगी। रोजगार योजना में किए गए बदलाव के कारण पहले से ही दिहाड़ी और ठेके पर काम करने वाले मजदूरों के लिए रोजगार के अवसर कम हो चुके हैं। अब उन्हें काम मिलना और भी मुश्किल हो जाएगा।

विदेशी संस्थागत निवेशक

भले ही अब इस्राइल और अमेरिका ईरान पर बमबारी बंद कर भी दें, लेकिन अगर राज्यों के चुनावों के बाद तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो स्थिति और भी बदतर हो सकती है।

शेयर और वस्तु बाजारों से अपना पैसा निकाल रहे हैं, जिसके कारण रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। इसका सीधा असर यह होगा कि आयात, विदेश यात्रा और विदेश में पढ़ाई करना और भी महंगा हो जाएगा। जैसे-जैसे लोगों के जीवन स्तर पर बुरा असर पड़ेगा, आय में असमानता और सामाजिक चिंताएं बढ़ेंगी। वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर बनी यह विकट परिस्थिति, मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर सूबों - पंजाब और

लड़खड़ाती रही, तो राज्य पर वित्तीय दबाव और बढ़ सकता है। अगर पश्चिम एशिया का टकराव लंबा खिंचता है तो हाल ही में हुए निवेशक सम्मेलन में किए गए 55,000 करोड़ रुपये मूल्य निवेश के कई वादे सिर्फ कागजों पर ही रह जाएंगे।

पंजाब से उच्चकोटि का बासमती चावल और खेल के सामान का निर्यात का ज्यादातर हिस्सा होर्मुज जलडमरू से होकर गुजरता है, और लगभग 60 लाख टन माल बंदरगाहों पर

होकर, अपनी ढर्रे की राजनीति जारी रखे हुए हैं। किसी नेता की असली परख संकट के समय ही होती है। पिछले साल जब पंजाब में बाढ़ आई थी, तब भाजपा के कुछ मंत्रियों ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया था, आश्वासन दिए थे, लेकिन समय बीतने के साथ वे सब कुछ भूल गए। प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 1,600 करोड़ रुपये की राहत राशि पहुंचने का अभी भी इंतजार है। अब एक और संकट सिर पर खड़ा हो गया है और पंजाब में भाजपा के नेता इससे मुंह मोड़ रहे हैं।

समस्या यह है कि दिल्ली में बैठा भाजपा का शीर्ष नेतृत्व उन्हें गंभीरता से नहीं लेता, और न ही किसी मुद्दे पर उनकी राय लेना जरूरी समझता है। भाजपा की प्राथमिकताओं की सूची में पंजाब का स्थान कहीं बहुत नीचे है। वे चंडीगढ़ स्थित अपने दफ्तर के बाहर हुए एक धमाके पर भी खूब शोर मचाते हैं - वे इसके लिए पंजाब सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं। भूल जाते हैं कि किसी भी केंद्र-शासित प्रदेश में शांति भंग होने की स्थिति में, इसकी जिम्मेदारी उन्हीं के अपने केंद्रीय गृह मंत्री की बनती है।



हरियाणा के लिए अच्छे संकेत नहीं दे रही है, क्योंकि इन राज्यों में कीमतों में आया झटका ज्यादा खतरनाक है। हरियाणा में सरकार भाजपा की होने के कारण, हो सकता है केंद्र सरकार कुछ अतिरिक्त मदद कर दे और वह इस स्थिति से बेहतर ढंग से निपट पाएय लेकिन पंजाब को अपने हाल पर छोड़ दिया जाएगा। पंजाब में भाजपा के नेता, भगवंत मान सरकार को घेरने के लिए चुन-चुनकर मुद्दे तो उठाते हैं, लेकिन उन मसलों को नजरअंदाज कर देते हैं जिन पर केंद्र सरकार का ध्यान दिलवाये जाने की जरूरत होती है। ताजा बजट से पता चलता है कि पंजाब की विकास दर 6.1 प्रतिशत है, जो कि राष्ट्रीय औसत से कम है। अगर अर्थव्यवस्था इसी तरह

फंसा हुआ है। बीमा और शिपिंग की दरें आसमान छूने के साथ-साथ, निर्यात में अनुमानित 50 प्रतिशत की गिरावट आने की संभावना है। कपड़ा और इंजीनियरिंग सामान निर्यात करने वाली कंपनियां, भुगतान में देरी होने के कारण काफी मुश्किल में हैं। परेशान निर्यातक चाहते हैं कि केंद्र सरकार तुरंत 'वस्तु-विनिमय प्रणाली' शुरू करे जैसे कि कच्चे तेल के बदले बासमती चावल का लेन-देन।

लेकिन भयावहता इतनी होने के बावजूद भी पंजाब की अलग-अलग पार्टियों के नेताओं को उनकी नींद से नहीं जगा पाई है। अवसरवादिता और अल्प-कालिक चुनावी फायदों में पले-बढ़े ये नेता, आने वाले संकट के काले बादलों से बेखबर

जहां तक आप, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल की बात है तो इनमें शायद ही कोई ऐसा पाएदार नेता है, जो किसानों और निर्यातकों की ओर से हस्तक्षेप कर केंद्र सरकार से कोई सार्थक प्रतिक्रिया हासिल कर पाए। इसलिए, यह जिम्मेवारी पूरी तरह से भाजपा नेतृत्व के पसंदीदा नेताओं - जैसे कि हरदीप पुरी, रवनीत सिंह बिट्टू, तरनजीत सिंह संधू और पार्टी में हाल ही में शामिल हुए वकील एचएस फूलका की बनती है कि वे प्रधानमंत्री को इस बात के लिए राजी करें कि वे पश्चिम बंगाल चुनावों से इतर पंजाब के बारे में भी विचार करें। पंजाब का जो जायज हक है, उसे दिलाने की कोशिश करें।

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

नई सोच रेकेगी मनुष्यता के खिलाफ अपराध

स्वतंत्रता सेनानी और अस्पृश्य समझे जाने वाले वर्ग के नेता बाबू जगजीवन राम को बचपन में स्कूल में इसलिए सजा मिली थी कि उन्होंने उस मटके से पानी पी लिया था जो स्कूल के सवर्ण अध्यापकों के लिए रखा गया था। यह बात तब की है जब हम गुलाम थे। पर ऐसे ही 'अपराध' के लिए स्वतंत्र भारत में भी नौ साल के एक दलित बच्चे को भी सजा मिली थी राजस्थान के जालौर के एक स्कूल में उन बच्चों से भी अनजाने में ही अध्यापकों के मटके से पानी पीने का 'अपराध' हो गया था। यह घटना हमारी आजादी की 75वीं सालगिरह के दिन घटी थी। दोनों ही घटनाओं में लगभग एक सदी की दूरी है। सदियों से दलितों के साथ इस तरह के अत्याचार होते आ रहे हैं। उम्मीद थी कि स्वतंत्र भारत में हमारी समाज व्यवस्था के माथे से यह कलंक मिट जायेगा। पर आज भी, यानी इक्कीसवीं सदी के तीसरे दशक में इस आशय के समाचार मिल जाते हैं कि फलां गांव में या फलां कस्बे में दलित समाज के किसी व्यक्ति को इसलिए सजा भुगतान पड़ी कि उसने घोड़े पर बैठकर दूल्हा बनने का दुस्साहस किया था!

आजादी प्राप्त करने के बाद जब हमने अपना संविधान बनाया तो उसमें यह स्पष्ट व्यवस्था की थी कि स्वतंत्र भारत में किसी भी नागरिक को अस्पृश्यता जैसे अभिशाप को झेलना न पड़े। एक लंबे संघर्ष के बाद यह स्थिति आयी थी, पर अभी भी अस्पृश्यता के अभिशाप से हम मुक्त नहीं हो पाये। सौ साल पहले बाबासाहेब अम्बेडकर ने महाराष्ट्र के महाड में अगड़ों के लिए आरक्षित समझे जाने वाले एक तालाब से पानी पीने के अधिकार का संघर्ष शुरू किया था। उस तालाब में जानवर तो पानी पी सकते थे, पर अस्पृश्य समझे जाने वाले दलित को यह अधिकार नहीं था। ऊंची समझी जाने वाली जातियों के लोग यह मानते थे कि दलितों के छूने से वह भी अपवित्र हो जायेंगे। पता नहीं

महाड के जल-सत्याग्रह का शताब्दी वर्ष है यह। वह सत्याग्रह वस्तुतः मानव-समाज की समानता के लिए एक नए संघर्ष की शुरुआत थी। यह संघर्ष तब तक पूरा नहीं होगा, जब तक कानून या संविधान में दिये गये अधिकारों को सामाजिक स्तर पर पूरी मान्यता नहीं मिल जाती।



विश्वनाथ सचदेव

यह धारणा कब से चली आ रही है, पर यह एक शर्मनाक सच्चाई है कि हमारे देश में आज भी छुआछूत से हमारा पीछा नहीं छूट पाया। शहरी भारत में भले ही माथे पर यह कलंक न दिखता हो, पर ग्रामीण भारत आज भी जैसे इस त्रास को भोगने के लिए शापित है। यहां यह याद रखना जरूरी है कि लगभग अस्सी प्रतिशत भारत गांवों में बसता है!

सन् 1950 में हमने अपने संविधान में अस्पृश्यता पर प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था की थी। हमारा संविधान कहता है, 'सरकार धर्म, जाति, जन्म आदि के आधार पर किसी नागरिक से भेदभाव नहीं करेगी'। लगता है, भेदभाव करने वालों ने मान लिया है कि यह व्यवस्था सरकार के लिए है, समाज के लिए नहीं!

सौ साल पहले डाक्टर भीमराव अम्बेडकर ने समाज को यह अहसास कराने की कोशिश की थी। सौ साल पहले 20 मार्च, 1927 को महाराष्ट्र के एक तालाब के पानी को न केवल दलितों ने छुआ, बल्कि उस तालाब का पानी पिया भी। वस्तुतः यह मनुष्यता की रक्षा के लिए किये जाने वाले एक संघर्ष की शुरुआत थी। यह सौवां वर्ष है इस संघर्ष का और संघर्ष आज भी जारी है। हम इस बात पर तो गर्व कर सकते हैं कि सौ साल पहले ऐसा कोई संघर्ष

प्रारंभ हुआ था, पर देखा जाये तो यह शर्म की ही बात है कि अब तक इस संघर्ष में पूरी विजय नहीं मिल पायी। पर इस असफलता से संघर्ष की महत्ता कम नहीं हो जाती। जरूरी है कि महाड में शुरू किये गये इस जल-सत्याग्रह की महत्ता को समझा जाये, इस संघर्ष को



तार्किक परिणति तक पहुंचाया जाये।

उस दिन अम्बेडकर के नेतृत्व में लगभग ढाई हजार दलितों ने महाड के चौदार तालाब के पवित्र समझे जाने वाले जल को अंजलि में भरकर एक नई आजादी के संघर्ष की शुरुआत की थी। यह संघर्ष इस सिद्धांत को स्वीकारने के लिए भी था कि जल, जंगल और हवा प्रकृति ने हर प्राणी के लिए दिये हैं, किसी जन्म या किसी

धर्म के नाम पर इनका बंटवारा नहीं हो सकता। किसी भी आधार पर प्रकृति के इन अवदानों पर कोई अपना अधिकार नहीं जता सकता। पर इस बात को सवर्ण समझे जाने वाले समाज ने आसानी से स्वीकार नहीं किया। महाड सत्याग्रह से नाराज सवर्णों ने न केवल तालाब का 'शुद्धीकरण' किया, बल्कि सत्याग्रहियों को मारा-पीटा भी गया था। वे मामले को अदालत में भी लेकर पहुंचे। दस साल लगे न्यायालय को पानी पर सबके अधिकार का फैसला सुनाने में। और यह भी हकीकत है कि आज भी देश का एक बहुत बड़ा तबका मन से यह मानने को तैयार नहीं है कि दलितों को अस्पृश्य मानना मनुष्यता के खिलाफ एक अपराध है। सदियों से चले आ रहे इस अपराध का प्रायश्चित होना ही चाहिए। यह अपराध-बोध ही समता के इस संघर्ष को किसी तार्किक परिणति तक पहुंचा सकता है।

मनुष्य और मनुष्य के बीच खाई नहीं होनी चाहिए। संविधान में समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता के चार स्तंभों पर एक मानवीय समाज की संरचना को आकार दिया गया है। अम्बेडकर ने जल-सत्याग्रह के माध्यम से समानता की लड़ाई को नया आयाम दिया था। चावदार तालाब के इस सत्याग्रह के तीन साल बाद उन्होंने नासिक के कालाराम मंदिर में दलितों की समानता की लड़ाई का एक और मोर्चा खोला था। यहां विवाद दलितों के मंदिर प्रवेश के अधिकार को लेकर था। गांधीजी इससे दो दशक पहले दलितों को यह अधिकार दिये जाने के संघर्ष को प्रारंभ कर चुके थे। इतिहास की इन सारी बातों को याद करने का एक अवसर है जल-सत्याग्रह का यह शताब्दी वर्ष। इसे याद करने का मतलब समानता की एक अधूरी लड़ाई को आगे बढ़ाने के संकल्प की पूर्ति की दिशा में आगे बढ़ना है।

यह बात समझना जरूरी है कि समानता की यह लड़ाई किसी कानून या किसी सरकार के सहारे नहीं जीती जा सकती। आवश्यकता एक सामाजिक आंदोलन को चलाने, उसे गति देने की है। अम्बेडकर का जल-सत्याग्रह या गांधी का नमक-सत्याग्रह या दलित के मंदिर प्रवेश के अधिकार के लिए किया गया मानवीय समानता का संघर्ष कुल मिलाकर समानता की एक ऐसी लड़ाई है जिसके पूरा हुए बिना मनुष्यता की लड़ाई किसी तार्किक परिणति तक नहीं पहुंच सकती। डाक्टर अम्बेडकर को हम संविधान के प्रमुख शिल्पी की तरह याद करते हैं। इस याद करने को सार्थक बनाने का अर्थ आदमी और आदमी के बीच की खाई को पाटना है। तीन साल पहले जारी किये गये एक आंकड़े के अनुसार देश में दलितों पर अत्याचार की पांच घटनाएं रोज घट रही हैं। जालौर के नौ साल के इंद्र मेघवाल के साथ हुआ अन्याय इन्हीं पांच में से एक है। यह अन्याय खत्म होना ही चाहिए तभी मनुष्यता जीतेगी।

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

मिर्च की खेती – मलोट के 23 वर्षीय प्रगतिशील आकाशदीप ने विविधीकरण में आजमाए हाथ

दो-तीन किल्ले में खेती, प्रति एकड़ 1 लाख का मुनाफा

बदलते समय के साथ खेती के तरीकों में भी बदलाव आ रहा है। किसान अब पारम्परिक फसलों के साथ-साथ नकदी फसलों की ओर रुख कर रहे हैं। इसी दिशा में असपालां गांव के प्रगतिशील किसान आकाशदीप ने गेहूँ-धान की खेती के साथ मिर्च की खेती शुरू कर एक नई मिसाल पेश की। वह प्रति एकड़ एक लाख रुपए शुद्ध मुनाफा कमा रहे हैं।

इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा धारक 23 वर्षीय आकाशदीप के अनुसार, सरकार किसानों को फसल विविधीकरण के लिए लगातार प्रेरित कर रही है, ताकि ये अपनी आय बढ़ा सकें और जोखिम को कम कर सकें। इसी सोच के तहत उन्होंने करीब तीन वर्ष पहले हरी मिर्च की खेती शुरू की। शुरुआत में उन्होंने एक किल्ले में प्रयोग किया। अच्छे उत्पादन और बाजार में बेहतर दाम मिलने के बाद अब वह दो-तीन एकड़ में यह खेती

कर रहे हैं। यह खेती पारम्परिक फसलों के मुकाबले अधिक मेहनत मांगती है। इसमें समय-समय पर सिंचाई, खाद, कीटनाशक प्रबंधन और पौधों की निगरानी बेहद जरूरी होती है। मिर्च की फसल की सबसे बड़ी चुनौती कीट व रोग होते हैं, जिन पर नियंत्रण के लिए विशेष ध्यान देना पड़ता है। मिर्च की फसल 80 से 90 दिन में तैयार हो जाती है। इसके बाद 6-7 बार तुड़ाई की जाती है, जिससे किसान को एकमुश्त नहीं, बल्कि नियमित अंतराल पर आमदनी मिलती रहती है। वह फिरोजपुर की नर्सरी से बीज लाते हैं।

वह बताते हैं कि वह अपनी उपज को खुद फिरोजपुर सब्जी मंडी में बेचने ले जाते हैं। हालांकि, मलोट मंडी पास में है, लेकिन फिरोजपुर में उन्हें बेहतर भाव मिलता है, जिससे आमदनी बढ़ जाती है। बाजार का अच्छा चयन मुनाफे का एक बड़ा आधार है। मेहनत और सही तकनीक के

साथ मिर्च जैसी नकदी फसलें किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकती हैं।

पिता से सीखा खेती का हुनर

आकाशदीप के मुताबिक, उनके पिता मिर्च की थोड़ी-बहुत खेती करते थे। वह अब इस दुनिया में नहीं हैं। उन्होंने इस खेती का हुनर पिता से ही सीखा। मिर्च की खेती में लागत पारम्परिक फसलों की तुलना में थोड़ी अधिक होती है। यदि सही प्रबंधन किया जाए तो प्रति एकड़ एक लाख रुपए या उससे अधिक का शुद्ध मुनाफा संभव है। उन्होंने खेत में एक स्थायी मजदूर रखा हुआ है, जो फसल की नियमित देखभाल करता है।

सब्जियों की खेती में लगातार वृद्धि, हरी मिर्च में उतार-चढ़ाव
पिछले 26 सालों में पंजाब में सब्जियों की खेती लगातार बढ़ रही है। वर्ष 2000-01

में 110.3 हजार हैक्टेयर में होती थी, जो बढ़ते-बढ़ते 2019-20 में 289 हजार हैक्टेयर से अधिक पहुंच गई। उत्पादन में भी लगातार बढ़ोत्तरी दर्ज हुई। यह 2004-05 में 2677 हजार टन से बढ़ते हुए 2019-20 में 4772 हजार टन तक पहुंच गया। जहां तक हरी मिर्च की खेती की बात है, तो इसमें उतार-चढ़ाव जारी रहा। वर्ष 2004-05 में 9.6 हजार हैक्टेयर में इसकी खेती की गई, जिससे 14.4 हजार टन पैदावार हुई। यह खेती 2011-12 तक बढ़ती रही, जब खेती 10.5 हजार हैक्टेयर में हुई और उत्पादन 17.9 हजार टन रहा। उसके बाद इसमें घटत-बढ़त रही। वर्ष 2019-20 में 8.8 हजार हैक्टेयर में 16.3 हजार टन उत्पादन दर्ज किया गया।

देश के 166 बड़े जलाशयों में पानी आधे से भी कम, 44.71 प्रतिशत

गर्मी से पहले तेज़ी से सूखे जलाशय, दो माह में 22 प्रतिशत घटा पानी का स्टॉक

देश के 166 बड़े जलाशयों में पानी का स्तर कुल क्षमता के आधे से भी नीचे आ गया है। केन्द्रीय जल आयोग (सी.डब्ल्यू.सी.) के 9 अप्रैल, 2026 के बुलेटिन के मुताबिक इन जलाशयों में उपलब्ध

से पानी तेज़ी से घटा है। दो महीने में ही इसमें 22 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। इससे गर्मियों में

स्टोरेज क्षमता 183.565 बी.सी.एम. है। यह देश की अनुमानित कुल क्षमता 257.812 बी.सी.एम.



दक्षिण भारत में दिख रहा ज्यादा प्रभाव

क्षेत्र के हिसाब से गिरावट पूरे देश में दिखी, लेकिन सबसे ज्यादा असर दक्षिण में है।

उत्तर : फरवरी 61.96 प्रतिशत से घट कर अप्रैल में 43.87 प्रतिशत

पूर्व : 64.32 प्रतिशत से 42.20 प्रतिशत

पश्चिम : 78.06 प्रतिशत से 53.65 प्रतिशत

मध्य : 69.11 प्रतिशत से 51.77 प्रतिशत

दक्षिण : 59.16 प्रतिशत से घटकर 33.63 प्रतिशत तक पहुंच गया।

स्टोरेज 82.07 बी.सी.एम. (अरब घन मीटर) है, जो कुल क्षमता का 44.71 प्रतिशत है। फरवरी के बाद

जल संकट की आशंका बढ़ गई है। ज्यादातर नदी बेसिन अब 30 प्रतिशत से 60 प्रतिशत क्षमता के बीच चल रहे हैं। बिहार का चंदन डैम पूरी तरह सूख गया है। आयोग का कहना है कि स्थिति पिछले साल और 10 साल के औसत से बेहतर है, परन्तु गिरावट की रफ्तार चिंता बढ़ा रही है।

फरवरी 2026 के पहले हफ्ते में कुल स्टोरेज 66.63 प्रतिशत था। यह 2 अप्रैल तक घट कर 44.69 प्रतिशत रह गया और 9 अप्रैल को 44.71 प्रतिशत पर पहुंच गया। 166 जलाशयों की कुल लाइव

का करीब 71.2 प्रतिशत हिस्सा है।

कारण : जनवरी और फरवरी में कम बारिश

विशेषज्ञों के अनुसार 2025 के अच्छे मौनसून से जलाशय भरे थे, लेकिन इस साल जनवरी-फरवरी में कम बारिश और सिंचाई व बिजली के लिए बढ़ते उपयोग से पानी तेज़ी से घटा है। पिछले साल इसी समय यह 69.752 बी.सी.एम. और 10 साल का औसत 64.618 बी.सी.एम. था। यानी वर्तमान स्टॉक पिछले साल का 117.66 प्रतिशत और औसत का

बिहार का चंदन डैम सूखा, 8 जलाशयों में 50 प्रतिशत या नीचे पहुंचा जल का स्तर

कम से कम 8 बड़े जलाशय अपने सामान्य स्तर के 50 प्रतिशत या उससे नीचे पहुंच गए हैं। सबसे गंभीर स्थिति बिहार के चंदन डैम की है, जहां स्टोरेज शून्य हो गया है।

* अन्य कम स्तर वाले जलाशयों में असम का खांडोंग (28 प्रतिशत), कर्नाटक का तातिहल्ला (16 प्रतिशत), केरल का पेरियार (33 प्रतिशत), तामिलनाडू का शोलायर (13 प्रतिशत) और वैगई (26 प्रतिशत), तेलंगाना का प्रियदर्शिनी जुराला (42 प्रतिशत) और पश्चिम बंगाल का कांग्साबाली (34 प्रतिशत) शामिल हैं।

127.01 प्रतिशत है।

फिलहाल कोई भी नदी बेसिन फुल नहीं

वर्तमान में कोई भी नदी बेसिन पूरी क्षमता पर नहीं है। बड़े बेसिनों की बात करें तो तापी 60.71 प्रतिशत, गंगा 53.8 प्रतिशत, महानदी 52.17 प्रतिशत, गोदावरी 47.58 प्रतिशत, नर्मदा 46.09 प्रतिशत, कावेरी 42.75 प्रतिशत और कृष्णा बेसिन 31.31 प्रतिशत क्षमता पर बना हुआ है। उत्तर-पश्चिम क्षेत्र में सिंधु 41.52 प्रतिशत और ब्रह्मपुत्र 35.20 प्रतिशत है, जबकि माही में 48.70 प्रतिशत भंडारण उपलब्ध है।

पंजाब, राजस्थान में सबसे तेज़ गिरावट

राज्य	गिरावट
पंजाब	73.72%
राजस्थान	47.82%
महाराष्ट्र	45.55%
हिमाचल	30.69%
गुजरात	26.33%
मध्य प्रदेश	23.79%
बिहार	22.81%
छत्तीसगढ़	18.61%
झारखंड	12.73%

नई वैज्ञानिक खोज से सुलझेगा गंगा के मैदानी क्षेत्रों में आरंभिक खेती का रहस्य

वैज्ञानिकों ने एक नई खोज की है, जिससे यह पता लगाना आसान हो जाएगा कि भारत के सबसे उपजाऊ इलाके 'गंगा के मैदानी क्षेत्रों' में खेती की शुरुआत कब और कैसे हुई थी। बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान (बी.एस.आई.पी.) के वैज्ञानिकों ने पहली बार भारतीय मिट्टी और पौधों के नमूनों का इस्तेमाल कर एक ऐसी तकनीक विकसित की है, जिससे असली फसलों और जंगली घास के बीच का अंतर साफ पता चल जाता है। अब तक भारतीय वैज्ञानिक इस काम के लिए यूरोप के आंकड़ों (डाटा पर निर्भर थे, जो हमेशा सटीक नहीं होते थे।

वैज्ञानिकों ने 'पराग कणों' (पोलन) का अध्ययन किया। दरअसल, गेहूं, धान, जौ और बाजरा जैसी फसलें भी घास के परिवार का हिस्सा हैं। 73.72 प्रतिशत सूक्ष्मदर्शी (माइक्रोस्कोप) से देखने पर इनके और जंगली घास के पराग कण बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, इसलिए इसके बीच अंतर करना हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही है। चूंकि पराग तलछट (सैंडिमेंट्स) में सुरक्षित रहते हैं, इसलिए उनका विश्लेषण पिछले 11,700 वर्षों (होलोसीन युग) के दौरान कृषि, वनों

की कटाई और मानव बस्तियों का खुलासा कर सकता है।

बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान (बी.एस.आई.पी.) के वैज्ञानिकों ने इस अध्ययन के लिए 22 अनाज और गैर-अनाज प्रजातियों का विश्लेषण किया।

उन्होंने अध्ययन के दौरान पाया कि अनाज के पराग कणों का व्यास आमतौर पर 46 माइक्रोन होता है और पराग कण पर स्थित छल्ले (एनुलस) का आकार नौ माइक्रोन से अधिक होता है (बाजरा को छोड़कर, जो

छोटा होता है), जबकि जंगली घास के कणों का आकार इससे कम होता है। इस बारीक अंतर की पहचान होने से अब यह सटीक रूप से बताया जा सकेगा कि किसी खास इलाके में इंसान कब बसे और उन्होंने किस समय से वहां खेती करना शुरू किया। यह खोज न केवल इतिहास और पुरातत्व विभाग के लिए बड़ी उपलब्धि है, बल्कि इससे यह भी समझने में मदद मिलेगी कि इंसानों ने कैसे धीरे-धीरे गंगा के मैदानों को दुनिया का 'अन्न भंडार' बना दिया। यह अध्ययन प्रसिद्ध वैज्ञानिक पत्रिका 'द होलोसीन' में प्रकाशित हुआ है।

इंसानों ने कैसे धीरे-धीरे गंगा के मैदानों को दुनिया का 'अन्न भंडार' बना दिया



लद्दाख में शुरू हुआ 'एप्रिकॉट ब्लॉसम'... घाटी गुलाबी-सफेद रंग से गुलजार

केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख में खुबानी के फूलों (एप्रिकॉट ब्लॉसम) का सीजन शुरू हो गया है। खुबानी के पेड़ों पर खिले फूलों ने घाटी को सफेद और हल्के गुलाबी रंग में रंग दिया है। इसी के साथ लद्दाख में आधिकारिक तौर पर पर्यटन सीजन की भी शुरुआत हो गई है। फूलों के खिलने की खुशी में लेह, कारगिल जैसे इलाकों में स्थानीय लोग पारम्परिक पोशाक में लद्दाखी नृत्य और संगीत कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इसके साथ ही यहां स्थानीय उत्पादों और हस्तशिल्प की प्रदर्शनी भी लगाई जाती है। यहां बड़ी संख्या में पर्यटक लद्दाख पहुंच रहे हैं। फूलों का अच्छी तरह खिलना बेहतर फल उत्पादन का संकेत माना जाता है। लद्दाख देश के प्रमुख खुबानी उत्पादक क्षेत्रों में शामिल है। यहां उगने वाली खुबानी का उपयोग मुख्य रूप से सूखे मेवे और तेल बनाने में किया जाता है। अप्रैल से जून के बीच यहां 5 लाख से ज्यादा पर्यटक पहुंचते हैं, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के बड़े अवसर मिलते हैं।

पंजाब-चंडीगढ़ के किसानों को बड़ी राहत, केंद्र सरकार ने गेहूं खरीद नियमों में दी बड़ी ढील

पंजाब और चंडीगढ़ के किसानों के लिए केंद्र सरकार ने गेहूं खरीद में महत्वपूर्ण ढील दी है। इस फैसले को मौसमी खराबी से प्रभावित फसल की खरीद प्रक्रिया को आसान बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। इस संबंध में केंद्र की ओर से एक आधिकारिक पत्र भी जारी किया गया है। लस्टर लॉस गेहूं पर बड़ी नए प्रावधानों के तहत अब चमक खो चुके यानी 'लस्टर लॉस' गेहूं पर 70 प्रतिशत तक की छूट लागू की गई है। इसका उद्देश्य उन फसलों को भी खरीद प्रक्रिया में शामिल करना है, जो मौसम की मार के कारण अपनी गुणवत्ता खो चुकी है।

सरकार ने टूटे और सिकुड़े हुए दानों की स्वीकार्य सीमा को भी बढ़ा दिया है। पहले यह सीमा


6 प्रतिशत थी, जिसे अब बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है।

ही लागू रहेगी। केंद्र ने स्पष्ट किया है कि



इससे उन किसानों को सीधा लाभ मिलेगा जिनकी फसल बारिश या नमी के कारण प्रभावित हुई है। हालांकि, क्षतिग्रस्त और आंशिक रूप से खराब दानों के लिए पुराना मानक यानी 6 प्रतिशत की सीमा

रियायती मानकों के तहत खरीदे गए गेहूं को सामान्य स्टॉक से अलग रखा जाएगा। साथ ही इसके रख-रखाव और गुणवत्ता की पूरी ट्रैकिंग अनिवार्य होगी, ताकि पारदर्शिता बनी रहे।



माइकोहिल : मजबूत आधार, भरपूर पैदावार

